



## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

Tender for LDPE Blend Poly flim Tamper Evident Envelopes Purchase

क्रमांक : मा.शि.बो./गोप/LDPE ENV./2016/ दिनांक : 06.09.2016  
Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing (Without POD Jecket) क्रय करने हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। भरी हुई निविदाएँ दिनांक 20.09.2016 को 3.00 बजे तक पूछताछ शाखा पर प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 21.09.2016 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय दिवस में 100/- जमा करवाकर अथवा वेबसाईट [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) अथवा [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) से भी डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत नियम/शर्तें वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

सचिव



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

## निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या/गोपनीय/ LDPE Envelope/ 2016

दिनांक : 06 सितम्बर 2016

- विषय : **Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRADABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing (Without POD Jacket) क्रय करने हेतु बोली (अनुमानित लागत दो लाख)**

- निविदा कार्यक्रम एवम् बोली प्रतिभूति राशि :-

|   |   |
|---|---|
| निविदा प्रपत्र विक्रय/डाउनलोड दिनांक              | : दिनांक 20.09.2016 को 3.00 PM तक                     |
| निविदा प्रपत्र पूछताछ शाखा में जमा करने की दिनांक | : दिनांक 20.09.2016 को 3.00 PM तक                     |
| निविदा खोलने की दिनांक                            | : दिनांक 21.09.2016 को 4.00 AM                        |
| बोली प्रतिभूति राशि                               | : रुपये 1400/-<br>(अक्षरे एक हजार चार सौ रुपये मात्र) |
| निविदा प्रपत्र शुल्क                              | : रुपये 100/-   |

- निविदा (बोली) प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता .....

- दूरभाष नं. STD Code.....कार्यालय.....निवास.....  
मोबाईल न0.....ई-मेल.....

- अधिकृत प्रतिनिधि का नाम जिससे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।  
नाम ..... पद .....  
मोबाईल न0.....ई-मेल.....

- बैंक खाता विवरण (बोर्ड द्वारा इसी खाते में देय भुगतान RGTS द्वारा किया जावेगा) :-  
बैंक का नाम ..... शाखा .....  
खाता संख्या ..... खाते का प्रकार-SB/CA, IFSC Code.....

- पंजीयन विवरण (प्रतियां संलग्न करें) :-  
(अ) पेन नम्बर .....  
(ब) श्रम विभाग द्वारा जारी शॉप एक्ट पंजीयन संख्या.....  
(स) बिक्री कर विभाग द्वारा जारी TIN No. ....

हस्ताक्षर निविदादाता

7. निविदा शुल्क की राशि सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम रू. 100/— (अक्षरे रू. एक सौ चार मात्र) रसीद संख्या.....दिनांक.....अथवा बैंक ड्राफ्ट नं..... दिनांक..... द्वारा जमा करा दी गई/ड्राफ्ट संलग्न है।
8. धरोहर राशि सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम रू. 1400/— (अक्षरे रू. एक हजार सौ चार मात्र) मात्र का बैंक ड्राफ्ट संख्या .....दिनांक ..... संलग्न है।
9. निविदा सूचना संख्या : मा.शि.बो./गोपनीय/2016/LDPE Envelope दिनांक ..... सितम्बर, 2016 में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गई हैं (जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
10. दरों में सभी प्रकार के कर सम्मिलित होने चाहिए। आपूर्ति FOR बोर्ड कार्यालय गोपनीय शाखा गोदाम में पहुंचानी होगी। बोर्ड द्वारा अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
11. अपनी शर्तें लगाने वाले निविदादाता की दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. दरें देने वाली फर्म यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त सामग्री आपूर्ति करने में समर्थ/सक्षम है।
13. व्यवसाय में कार्य का अनुभव :- .....
14. फर्म का व्यवसाय एकल है अथवा संयुक्त :- .....
15. गत तीन वर्षों में राजकीय/स्वायत्तशासी संस्थान में कार्य करने का अनुभव :-

| क्र. सं. | संस्थान का नाम | अवधि           | राशि        |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1.       |                | .....से.....तक | रू. .... /— |
| 2.       |                | .....से.....तक | रू. .... /— |
| 3.       |                | .....से.....तक | रू. .... /— |
| 4.       |                | .....से.....तक | रू. .... /— |
| 5.       |                | .....से.....तक | रू. .... /— |

16. वार्षिक टर्न ओवर.....
17. अन्य .....

हस्ताक्षर निविदादाता

18. संलग्न सूची में विशिष्टीकरण के आधार पर दरें उनके सम्मुख अंकित की गई हैं। दरें निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

### दर विवरण

| लिफाफा क्रमांक | लिफाफे का विवरण<br>(एक ओर मुद्रण सहित)   | अनुमानित<br>वांछित<br>संख्या | दर प्रति हजार लिफाफे समस्त<br>कर सहित  |
|----------------|--|------------------------------|--|
| 1              | 2  | 4                            | 5                                      |
| 1              | 55 MICRON Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing (Without POD Jacket)<br>SIZE 30X15 cm (Flap 2" Extra)<br>Single colour Printing             | 1000                         | अंकों में रु. ....<br>शब्दों में ..... |
| 18-A           | 55 MICRON Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing (Without POD Jacket)<br>SIZE 33X20 cm (Flap 2" Extra)<br>Single RED colour Printing         | 12000                        | अंकों में रु. ....<br>शब्दों में ..... |
| 18-C           | 55 MICRON Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing (Without POD Jacket)<br>SIZE 33X20 cm (Flap 2" Extra)<br>Single BROWN colour Printing       | 12000                        | अंकों में रु. ....<br>शब्दों में ..... |
| 19-A           | 55 MICRON LDPE colour Printing Tamper Evident Polythene Envelope BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL (Without POD Jacket)<br>SIZE 33X10 cm (Flap 2" Extra)<br>Single RED colour Printing                                | 12000                        | अंकों में रु. ....<br>शब्दों में ..... |
| 19-C           | 55 MICRON Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing (Without POD Jacket)<br>SIZE 33X10 cm (Flap 2" Extra)<br>Single BROWN colour Printing       | 12000                        | अंकों में रु. ....<br>शब्दों में ..... |
| 21-A           | 60 MICRON Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing (Without POD Jacket)<br>SIZE 20X32 cm (Flap 2" Extra)<br>Single LIGHT GREEN colour Printing | 15000                        | अंकों में रु. ....<br>शब्दों में ..... |
| 21-B           | 60 MICRON Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing (Without POD Jacket)<br>SIZE 20X32 cm (Flap 2" Extra)<br>Single BLUE colour Printing        | 15000                        | अंकों में रु. ....<br>शब्दों में ..... |

नोट :- दरें अंकित करने से पूर्व कृपया इन निर्देशों को ध्यान में रखें।

हस्ताक्षर निविदादाता

- (1) दरें प्रति हजार लिफाफे की दी जावे।
- (2) लिफाफे सिंगल शीट में ही अच्छी प्रकार से चिपके होने चाहिये। लिफाफों के बनाने में बहुत ही अच्छी किस्म का Adhesive काम में लिया जाना चाहिए। प्रत्येक लिफाफे का जोड़ सही प्रकार से चिपके होने चाहिये। लिफाफों पर किसी प्रकार की फफूंदी, दरारें, खरोचें एवं सलवटें नहीं होनी चाहिये। Material अच्छी किस्म का काम में लेना है जिससे मार्कर से पते लिखते समय स्याही छिके नहीं।
- (3) लिफाफों पर बोर्ड द्वारा दिये गये प्रारूप तथा बताये गये रंग की स्याही से ही मुद्रण किया जाना है। उसका प्रूफ कार्यालय से अनुमोदित कराया जावे।
- (4) गणना की दृष्टि से सभी प्रकार के लिफाफों की 100-100 की पैकिंग कर मजबूत बॉक्स अथवा प्लास्टिक के बारे में पैकरकर आपूर्ति करनी होगी। बोरे पर लिफाफा नम्बर साईज व अन्दर रखे, लिफाफे की संख्या अंकित करनी होगी।
- (5) लिफाफे निर्माण हेतु निविदा में वर्णित अनुसार 55/60 MICRON मटिरियल प्रयुक्त किया जावे। इसी आधार पर दरें अंकित करें।
- (6) सभी प्रकार के लिफाफों की दरें अंकित करना आवश्यक है।

### घोषणा

मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, व्यावहारिक रूप से सम्पादित करने वाले कार्य की प्रक्रिया समझकर ध्यानपूर्वक दरें, प्रस्तुत की हैं। सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु सम्पादन हेतु समर्थ/सक्षम है। फर्म केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्था/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं है। (1) पैन नम्बर (2) बिक्री कर VAT प्रमाण-पत्र (3) श्रम विभाग द्वारा जारी शॉप एक्ट लाईसेन्स (4) बैंक स्टेटमेन्ट/ पासबुक प्रति (5) गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का कार्यादेश की प्रतियाँ। (6) बैंक ड्रॉप्ट। (7) बोली एवं संविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति। (8) 'A', 'B', 'C', 'D' की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न है।

दिनांक.....

**बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील**

#### संलग्न:-

- (i) पैन नम्बर।
- (ii) बिक्री कर VAT प्रमाण-पत्र।
- (iii) श्रम विभाग द्वारा जारी शॉप एक्ट लाईसेन्स।
- (iv) बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक प्रति।
- (v) गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों के कार्यादेश की प्रतियाँ।
- (vi) बैंक ड्रॉप्ट।
- (vii) बोली एवं संविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।
- (viii) 'A', 'B', 'C', 'D' प्रपत्र।



## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

### निविदा एवं संविदा की शर्तें

( गोपनीय शाखा हेतु LPDE लिफाफे बनाकर आपूर्ति करने के सम्बन्ध में )

**टिप्पणी :-** निविदाकार को निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

#### निविदा भरना एवं दरों का अंकन :-

01. निविदा उन फर्मों/व्यापारियों द्वारा ही दी जानी है जो या तो उन वस्तुओं/सामान/साज-सज्जा/मशीनों आदि के लिये पंजीकृत/अनुमोदित प्रदायक हों, या उनके द्वारा, जो उस सामान का, जिसके लिये निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय किया जा रहा हो।
02. निविदा पेन से भरी हुई होनी चाहिये। पेन्सिल या अन्यथा भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा में कोई परिवर्तन तथा परिवर्द्धन नहीं किया जाना चाहिये। कोई ऊपरीलेखन (ओवर राइटिंग) नहीं की जानी चाहिये। शुद्धियाँ, यदि कोई हों, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये तथा उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
03. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और दरें अंकों के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिये। अंकों व शब्दों में अंकित दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में लिखी गई दर ही मान्य होगी।
04. **समस्त उत्कथित दरें एफ.ओ.आर. बोर्ड कार्यालय, गोपनीय शाखा गोदाम, अजमेर होनी चाहिये और उनमें समस्त कर शामिल होने चाहिये।** स्थानीय प्रदायकों के मामलों में भी दरों में समस्त कर/भाड़ा शामिल होना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कोई गाड़ी-भाड़ा या परिवहन व्यय आदि अलग से नहीं दिया जायेगा। दरों की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से तीन माह तक रहेगी। सफल निविदाकार की दरें अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष तक के लिये वैध रहेगी जिसके अन्तर्गत कार्यालय वांछित आपूर्ति का आदेश दे सकता है।

**टिप्पणी :-** राजस्थान के बाहर की तथा राजस्थान की फर्मों द्वारा जो मूल्य अधिमानता के लिए हकदार नहीं है, उत्कथित दरों की तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर/VAT की दरें कम कर दी जायेंगी तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की दरें जोड़ी जायेगी।

05. निविदा के साथ प्रयुक्त की जाने वाली शीट का नमूना जिन पर आकार एवं फर्म की मोहर तथा हस्ताक्षर संलग्न किया जावे।
06. निविदाकार को, निविदा और करार की शर्तों और प्रतिबन्धों (स्पेसिफिकेशन्स) की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए।
07. निविदाकार निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अवश्य प्रस्तुत करेंगे। जिनके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
08. निविदा, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके भेजी जानी चाहिये।

हस्ताक्षर निविदादाता

10. अनुमोदित प्रदायक के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले सामान संबंधी शर्तों, विस्तृत विवरण, आकार, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उनको इन शर्तों या विस्तृत विवरण आदि के अर्थ के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो उसे संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व बोर्ड के सक्षम अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।
11. निविदाकार को अपने कार्यालय, गोदाम तथा वर्कशॉप के भू गृहादि का पूरा पता निश्चित रूप से देना चाहिये जहाँ जाकर निरीक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम दूरभाष/ मोबाइल नं. और पता भी अवश्य देना चाहिये जिससे इस कार्य हेतु सम्पर्क किया जा सके।
12. कार्यालय द्वारा समय-समय पर कार्य/निर्माण स्थल का निरीक्षण किया जा सकेगा।

#### धरोहर राशि :-

14. निविदा के साथ धरोहर राशि के रूपये 1400/- (अक्षरे रूपये एक हजार चार सौ मात्र) सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के पक्ष का डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा संलग्न किया जाना आवश्यक है जिसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. यदि किसी फर्म की कोई राशि किसी मद में बोर्ड कार्यालय में जमा है तो उसे इस निविदा के पेटे नहीं माना जावेगा। धरोहर राशि निविदा के अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद विफल निविदाकार को प्रत्यर्पित कर दी जायेगी। जबकि सफल निविदाकार के मामले में इसे प्रतिभूति के एक भाग के रूप में स्वीकार करने को निविदाकार का निवेदन मान लिया जायेगा।
16. राजस्थान राज्य में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई की वे ही निविदाएँ स्वीकार की जायेंगी जिन वस्तुओं के लिये उनकी इकाई को पंजीकृत किया गया है। राजस्थान की एस.एस. आई. यूनिट/फर्म निविदा के साथ उनके यूनिट पंजीकृत किये जाने के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। ऐसे प्रमाण-पत्र के अलावा उनकी यूनिट की वार्षिक क्षमता, उत्पादन के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत की जावे अन्यथा इनके अभाव में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर राशि में छूट भी नहीं दी जावेगी। प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही धरोहर राशि प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत ली जावेगी। साथ ही निविदा प्रपत्र शुल्क भी 50% ही जमा कराना होगा।

#### विशिष्टताएँ :-

17. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान, उसके लिये निर्धारित विस्तृत विवरण, जैसा कि परिशिष्ट उपाबन्ध 'ख' में अंकित है, व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृति प्रदत्त नमूनों से पूर्णतः मेल खाता हुआ होना चाहिये। सामान की किस्म के सम्बन्ध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा निविदाकारों के लिये मान्य होगा। प्रदाय की गई किन्हीं ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जाये और जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों की अस्वीकृति अथवा बदले जाने के कारण कोई व्यय होगा या प्रदायकों को कोई हानि हो तो वह पूर्णरूप से निविदाकार के जिम्मे होगी। संविदा की शर्तों के अनुसार पूर्ण मात्रा आपूर्ति नहीं करने अथवा आंशिक आपूर्ति करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। तदुपरान्त निविदाकार के हर्जे/खर्चे पर बिना नोटिस अन्य निविदाकारों को क्रय आदेश देने का अधिकार क्रेता अधिकारी को होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

18. लिफाफे बहुत ही अच्छी प्रकार की Single Sheet बिना जोड़े बने एवम् चिपके होने चाहिये। लिफाफों के बनाने में बहुत ही अच्छी किस्म Adhesive काम में लिया जावे ताकि चिपका हुआ भाग किसी भी दशा में खुल न सके और गंदा भी नहीं दिखे। प्रत्येक लिफाफे का जोड़ सही प्रकार से चिपका होना चाहिये। लिफाफों पर किसी प्रकार की फफूंदी, दरारें, खरोचें एवं सलवटें नहीं होनी चाहिए। क्राफ्ट पेपर अच्छी किस्म का काम में लेना है ताकि पैन/रिफिल/मार्कर से पते लिखते समय स्याही छिके नहीं।
19. लिफाफों पर जो भी मुद्रण करना है उसका प्रूफ कार्यालय से अनुमोदित करवाना होगा तथा निर्दिष्ट रंग की स्याही से ही मुद्रण किया जाना है। छपाई, कागज व अन्य सभी संबंधित आपूर्ति तक के समस्त व्यय सम्बन्धित फर्म को ही वहन करने होंगे। गणना की दृष्टि से सभी प्रकार के लिफाफों की पैकिंग 100-100 में ही की जावे। बण्डल के बाहर लिफाफों की संख्या तथा लिफाफा क्रमांक एवम् संख्या अवश्य अंकित करें।
20. लिफाफे निर्माण हेतु उपाबन्ध 'क' के बिन्दु 18 में वर्णित अनुसार निर्धारित MICRON व **Multy Layered LDPE Blend Poly flim Tamper Evident OXO BIODEGRAD ABLE PEAL & SEAL Envelopes with Printing** प्रयुक्त की जानी चाहिये इसी आधार पर दरें अंकित करें।
21. प्रत्येक लिफाफे का Flap 2" का निर्धारित नाप के अतिरिक्त होना चाहिए। Flap Self Adhasiv होना चाहिए।
22. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में यदि निविदा दरें लागू रहने तक की अवधि में किसी भी समय किसी प्रकार की किसी सामग्री के बाजार मूल्य (मार्केट प्राईस) में कमी हो जाती है तो निविदादाता इसकी सूचना बोर्ड को अविलम्ब देगा अथवा बोर्ड को अन्य विश्वसनीय स्रोतों से किसी प्रकार दर घटाये जाने/कम दर पर अन्यत्र आपूर्ति करने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदादाता द्वारा इसकी सूचना बोर्ड को दी जावेगी एवं निविदादाता तदनुसार कम दरों पर सामग्री प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा और भुगतान भी कम दरों पर ही किया जावेगा, किन्तु बाजार मूल्य में बढ़ोतरी का कोई लाभ निविदादाता को नहीं दिया जावेगा। बिल पर इस आशय का प्रमाणीकरण करना होगा।
23. लिफाफे के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री पर्यावरण एवम् भारत सरकार/राज्य सरकारों के द्वारा नियत मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण होनी चाहिए। यदि फर्म द्वारा किसी प्रकार की प्रतिबंधित अथवा स्तर विहीन सामग्री लिफाफे निर्माण में प्रयुक्त की जाती है तो इसके लिये पूर्णतः फर्म जिम्मेदार रहेगी एवम् यदि भुगतान के पश्चात् भी ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं तो भी फर्म जिम्मेदार रहेगी एवम् उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। फर्म को बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि लिफाफे निर्माण में भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है।

#### निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि :-

24. किसी भी निविदा को अस्वीकार करने में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दर वाली निविदा हो।
25. बोर्ड के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिये निविदा दी गई है उनकी पूर्ण मात्रा या उनके किसी भाग के लिये बोर्ड की इच्छानुसार आदेश दिये जा सकते हैं।
26. निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली संयाचना के कारण संविदा अमान्य की जा सकती है।

हस्ताक्षर निविदादाता



27. केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की आवश्यकता नहीं।
28. सफल निविदाकारों को अपने खर्चे पर, निविदा स्वीकार करने की सूचना मिलने के 07 दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी :-
- (क) संविदा की यथावत क्रियान्विति के लिये प्रस्तावित क्रय आदेश के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति के रूप में राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट अथवा नियमानुसार बैंक गारंटी आदि जमा करानी होगी। यदि निविदाकार विहित कालावधि में प्रतिभूति निक्षेप जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है। तो इस प्रकार विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग होना माना जावेगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। तदुपरान्त बिना नोटिस व अन्य सूचना के अन्य निविदाकार को क्रयादेश देने का अधिकार क्रेता अधिकारी को होगा। लघु उद्योग में पंजीकृत इकाईयों को शर्त संख्या 2(iii) के अनुसार सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट देय होगी। प्रार्थना करने पर प्रतिभूति राशि में निविदा पेटे जमा धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
29. प्रतिभूति की राशि संविदा के पूर्ण होने व सम्बन्धितों से संतोषप्रद आपूर्ति की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार यथाशीघ्र लौटा दी जावेगी। जमा धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर बोर्ड द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

#### आपूर्ति, त्रुटि एवं दण्ड :-

30. निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकार की गई है, क्रयादेश में दर्शायी गई अवधि जो अधिकतम 30 दिवस प्रूफ अनुमोदन एवं माल सुपुर्दगी की अवधि सहित होगी, में समस्त लिफाफों के प्रदाय की व्यवस्था करेगा। निविदा में दिखलाई गई मात्रायें अनुमानित हैं। लिफाफों के प्रदाय की व्यवस्था बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार करनी होगी। बोर्ड के कार्यादेश को आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
31. जहाँ तक संभव हो माल की आपूर्ति दिये गये आदेश की मात्रा में ही की जावे, कम नहीं। दी गई मात्रा अनुमानित मात्रा है, आवश्यकतानुसार मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि चाहे गये सभी किस्म/आकार के लिफाफों की आपूर्ति ली जावे।
32. यदि अनुमानित किस्म, मेक, आकार या परिमाण के अलावा सामान का अन्यथा प्रदाय होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा प्रदायक को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के निश्चित समय के भीतर उसे बदलना होगा। यदि सार्वजनिक/कार्य हित के कारण सामान का बदला जाना संभव न हो तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य यथोचित रूप से कम कर दिया जायेगा। क्रेता अधिकारी द्वारा नियत किये गये मूल्य अन्तिम होंगे। बोर्ड द्वारा अस्वीकृत सामग्री को अनापूर्ति (Non Supply) मानकर प्रशासनिक निर्णयानुसार दण्ड वसूला जावेगा तथा अस्वीकृत सामग्री निविदादाता द्वारा न हटाये जाने पर बोर्ड स्वविवेकानुसार उक्त माल का निस्तारण (disposal) कर सकेगा।
33. अस्वीकृत वस्तुओं को अस्वीकृति की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उनके स्थान से आपूर्तिकर्ता द्वारा अवश्य हटा लिया जाना चाहिए। सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे सामान का यथोचित ध्यान रखेंगे। ऐसे सामान की भू-गृह में रखे होने से होने वाली हानि/कमी/क्षति के लिये किसी भी स्थिति में बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

34. निविदादाता, सामान तथा सामान के नमूनों की ठीक-ठीक पैकिंग के लिये उत्तरदायी होगा ताकि प्राप्तकर्ता को उसके स्थान पर अच्छी दशा में नमूनों के अनुसार सामान की सुपुर्दगी मिल सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा जाँच हेतु सामान का निरीक्षण करते समय जो कोई भी हानि/कमी/क्षति, टूट-फूट अथवा टपकने से मात्रा में कोई कमी पायी जावेगी तो ऐसी हानि या कमी को पूरा करने के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा इसके लिये अतिरिक्त मूल्य देय नहीं होगा।
35. यदि निविदाकार सामान की आपूर्ति निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स अथवा अनुमोदित नमूनों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर या वर्द्धित समय के भीतर पूरी न कर पाये तो क्रेता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकार को सूचना दिये बिना निविदाकार के हिसाब में और उसकी जोखिम पर यह माल या उसका कोई भाग जो निविदाकार आपूर्ति न कर पाया हो, और कहीं से खरीद ले या यदि माल उपलब्ध न हो तो उस माल के बदले में सबसे अच्छा तथा पास ही उपलब्ध होने वाला कोई माल खरीद ले या संविदा को रद्द कर दे तथा निविदाकार, क्रेता अधिकारी को निविदाकार द्वारा विफल करने के कारण होने वाली हानि के नुकसान का उत्तरदायी होगा। परन्तु निविदाकार, व्यतिक्रम के फलस्वरूप किये गये क्रय पर होने वाले लाभ का अधिकारी नहीं होगा। ऐसी हानि या नुकसान की वसूली इस संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन देय राशि में से वसूल कर ली जायेगी।
36. यदि निविदाकार, निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाये तो क्रय अधिकारी अपने विवेकानुसार माल की सुपुर्दगी की अवधि निविदाकार से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी, जो शास्ति नहीं होगी, की वसूली के अध्यक्षीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर निम्नानुसार तथा सम्मति में हुई नीचे बतलायी गई देरी के लिये होगी :-

|   |      |
|---|------|
| (क) निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि की ¼ कालावधि की देरी के लिये                           | 2.5% |
| (ख) ¼ से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के ½ से अनधिक कालावधि की देरी के लिये | 5%   |
| (ग) ½ से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि की ¾ से अनधिक कालावधि की देरी के लिये | 7.5% |
| (घ) ¾ से अधिक कालावधि की देरी के लिये   | 10%  |

**टिप्पणी :-** आपूर्ति में हुई देरी की कालावधि की संगणना करते समय एक दिन की भिन्न को नहीं गिना जायेगा, यदि वह ½ दिन से कम है।

37. यदि प्रदायक कोई भी बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढ़ाने की अपेक्षा करे तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को, जिसने प्रदाय का आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक के पश्चात् नहीं। कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्राधिकारी समय सीमा बढ़ाने के लिये बाध्य नहीं होगा।

#### **भुगतान प्रक्रिया :-**

38. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
39. प्रदायक द्वारा प्रदाय किये जाने वाले माल का भुगतान कार्यादेश की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
40. सम्पूर्ण माल प्राप्त होने एवं निरीक्षण समिति द्वारा माल का निरीक्षण करने, जाँच एवं गणना आदि होने के पश्चात् तथा माल के सम्बन्ध में सभी प्रकार से सन्तुष्ट हो जाने पर ही बिल का भुगतान किया जा सकेगा।

**हस्ताक्षर निविदादाता**

41. सम्पूर्ण माल प्राप्त होने, फर्म का बिल प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण समिति द्वारा माल का निरीक्षण करने एवं कार्यालय स्तर संतुष्टि के बाद बिल की राशि का केवल 80 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा। शेष 20 प्रतिशत भुगतान से पूर्व एक ही प्रकार सामग्री जिसका मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो तो जाँच प्रयोगशाला से जाँच उपरान्त किया जावेगा। जाँच में यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो जाँच में होने वाला व्यय फर्म के बिल में से काट लिया जावेगा इसके अतिरिक्त गुणवत्ता में कमी के लिए अन्य कटौतियाँ निम्नानुसार होगी। इसके पश्चात ही शेष बिल का भुगतान किया जायेगा। सभी प्रकार के भुगतान योग्य राशि में से नियमानुसार **TDS** की कटौती अवश्य की जावेगी। भुगतान की प्रक्रिया बोर्ड की कार्य प्रणाली के अनुसार ही प्रारम्भ की जायेगी।
42. यदि प्रयोगशाला जाँच में कमी पाई जाती है तो निम्नानुसार कटौती की जाएगी :-
- प्रयुक्त शीट में MICRON की कमी मुख्य कमी है अतः जितनी कमी पाई जाएगी, लागत में से आनुपातिक कटौती की जाएगी।
  - अन्य विशिष्टताओं में कमी के लिए लागत के 10% राशि में से कटौती की जाएगी।
  - बिन्दु (2) में राशि, जिसमें से कटौती करनी है, को समस्त विशिष्टताओं के लिए बराबर-बराबर विभक्त करके प्रत्येक विशिष्टता में कमी के लिए आनुपातिक कटौती की जाएगी।
  - कुल कटौती योग्य राशि की गणना कर कार्यालय को हुई असुविधा के लिए इतना ही दण्ड निरूपित किया जाएगा।
  - प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई जाँच व्यय की वसूली के लिए वास्तविक व्यय तथा कटौती की राशि जो भी कम हो इसमें से और काटी जाएगी।

#### अन्य शर्तें :-

43. निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असन्तोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी सचिव बोर्ड द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का विनिश्चय ही अन्तिम होगा।
44. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का निर्णय मान्य होगा।
45. निविदाकार अपनी संविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी अन्य को आगे निविदा पर दे सकेगा।
46. क्रेता अधिकारी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि समय समय पर प्रदायक के भू-गृहादि (प्रेमिसेस) में जा सकेगा और उचित समय पर की जाँच और परीक्षण करने के लिये सक्षम होगा।
47. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में हैं तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

हस्ताक्षर निविदादाता

48. यदि किसी भी पक्ष द्वारा कानूनी कार्यवाही संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े तो यह कार्यवाही अजमेर (राजस्थान) स्थित न्यायालय में ही संस्थित करनी होगी।
49. अन्य नियम एवं शर्तें, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

सचिव

### घोषणा

मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है, व्यावहारिक रूप से सम्पादित करने वाले कार्य की प्रक्रिया समझकर ध्यानपूर्वक दरें, संलग्न तकनीकी व वित्तीय बिड में प्रस्तुत की हैं, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु सम्पादन हेतु समर्थ/सक्षम है। फर्म केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशापी संस्था/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं है। (1) पैन नम्बर (2) बिक्री कर VAT प्रमाण-पत्र (3) श्रम विभाग द्वारा जारी शॉप एक्ट लाईसेन्स (4) बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक प्रति (5) गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों के कार्यादेश की प्रतियाँ। (6) बैंक ड्रॉपट। (7) बोली एवं संविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति। (8) 'A', 'B', 'C', 'D' की स्व-प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।

दिनांक .....

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

#### संलग्न:-

- (i) पैन नम्बर।
- (ii) बिक्री कर VAT प्रमाण-पत्र।
- (iii) श्रम विभाग द्वारा जारी शॉप एक्ट लाईसेन्स।
- (iv) बैंक स्टेटमेन्ट/पासबुक प्रति।
- (v) गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों के कार्यादेश की प्रतियाँ।
- (vi) बैंक ड्रॉपट।
- (vii) बोली एवं संविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।
- (viii) 'A', 'B', 'C', 'D' प्रपत्र।

## करार का प्रारूप

(रूपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना है)

1. यह करार आज दिनांक ..... को एक ओर .....  
..... (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अनुमोदित प्रदायक” कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ सन्दर्भ के अनुकूल हों, उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जायेंगे।) और दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के अध्यक्ष (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “बोर्ड” कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ सन्दर्भ के अनुकूल हों, उनके उक्त उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित समझे जायेंगे) के बीच सम्पन्न किया गया है।
2. चूंकि अनुमोदित प्रदायक, बोर्ड को, उनके मुख्यालय पर इसके साथ उपाबन्ध “ख” के बिन्दु-12 में उल्लिखित समस्त वस्तुयें, इसके साथ संलग्न संविदा के पत्र तथा संविदा के प्रतिबन्धों में दी गई रीति के अनुसार तथा उक्त बिन्दु-12 के स्तम्भ - 5 में उल्लिखित दरों से प्रदाय करने के लिये बोर्ड के साथ सहमत हो गया है।
3. चूंकि अनुमोदित प्रदायक ने रु ..... की रकम नकद रसीद संख्या ..... दिनांक ...../द्वापट संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा उपर्युक्त करार के यथावत् पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में जमा करा दी है।
4. अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है :-
  1. बोर्ड द्वारा सचिव के जरिये इसके साथ उपाबन्ध “ख” के बिन्दु-12 में उल्लिखित समस्त वस्तुओं के लिये अनुमोदित दरों से किये जाने वाले संदायों के बदले में, अनुमोदित प्रदायक ..... (फर्म का नाम) उपाबन्ध “ख” के बिन्दु-12 में उल्लिखित उक्त वस्तुयें संविदा तथा निविदा की शर्तों एवं प्रतिबन्धों में बतलाई गई रीति से यथावत् रूप से प्रदाय करेगा।
  2. निविदा और संविदा की शर्तें जो निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... के साथ संलग्न थी, इस करार के साथ भी संलग्न है, इस करार का अंग समझी जायेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होंगे।
  3. अनुमोदित दरें करार की दिनांक से एक वर्ष तक वैध रहेगी जिसके अन्तर्गत कार्यालय वांछित आपूर्ति हेतु आदेश दे सकता है।
- (क) बोर्ड एतद् द्वारा यह करार करता है कि यदि अनुमोदित प्रदायक उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबन्धों को मानेगा और उनका पालन करेगा, तो बोर्ड सचिव के जरिये अनुमोदित प्रदायक को उक्त प्रतिबन्धों में उल्लिखित रीति से तथा समय पर, प्रत्येक सामान के लिये देय रकम का संदाय करेगा या करवायेगा।
- (ख) संदाय नीचे निर्दिष्ट तरीके से किया जायेगा :-  
सम्पूर्ण माल प्राप्त होने पर एवं निरीक्षण समिति द्वारा माल का निरीक्षण करने तथा माल के सम्बन्ध में सभी प्रकार से सन्तुष्ट हो जाने पर ही बिल के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यदि निविदा की शर्त 6 (iii)-(iv) के अन्तर्गत आपूर्ति की कागज की प्रयोगशाला जाँच कराई जाती है तो फर्म को कार्यालय स्तर की जाँच के आधार पर 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा और शेष 20 प्रतिशत भुगतान प्रयोगशाला जाँच के उपरान्त किया जाएगा।

4. माल की सुपुर्दगी कार्यादेश की दिनांक से कार्यादेश में अंकित अवधि में, जो कि अधिकतम 45 दिवस हो सकती है, पूरी कर दी जायेगी।
5. यदि अनुमोदित प्रदायक निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाये तो बोर्ड अपने विवेकानुसार माल की सुपुर्दगी की अवधि अनुमोदित प्रदायक से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी, जो शास्ति नहीं होगी, की वसूली के अध्यक्षीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर, निम्नानुसार तथा सम्मति में हुई नीचे बतलाई गई देरी के लिये होगी।
 

|   |      |
|---|------|
| (क) निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि की ¼ कालावधि की देरी के लिये                           | 2.5% |
| (ख) ¼ से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के ½ से अनधिक कालावधि की देरी के लिये | 5%   |
| (ग) ½ से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि की ¾ से अनधिक कालावधि की देरी के लिये | 7.5% |
| (घ) ¾ से अधिक कालावधि की देरी के लिये   | 10%  |

### टिप्पणी :-

1. आपूर्ति में हुई देरी की कालावधि की संगणना करते समय एक दिन की भिन्न को नहीं गिना जायेगा, यदि वह 1/2 दिन से कम है।
2. यदि प्रदायक कोई भी बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढ़ाने की अपेक्षा करे तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को, जिसने प्रदाय का आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक के पश्चात् नहीं। कार्य की आवश्यकता के अनुसार प्राधिकारी समय सीमा बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं होगा।
3. इस करार के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार निर्वचन सम्बन्धी समस्त प्रश्न बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे तथा बोर्ड अध्यक्ष का विनिश्चय ही अन्तिम होगा।
4. अन्य नियम एवं शर्तें जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी जिसके साक्ष्य में, इसके दोनों पक्षों ने दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित प्रदायक के हस्ताक्षर  
मय सील

बोर्ड के लिये तथा की ओर से  
हस्ताक्षर व पदनाम

दिनांक : .....

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

साक्षी सं. 2